

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/ (एम-53/86आर)/अलेसे-11/

दिनांक:-

परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी,
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
सी-स्कीम, जयपुर।

विषय:- श्री मंशाराम जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 की प्रतिनियुक्ति
बढ़ाने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक एड्स/संस्था/नि.प./ 52/11/2017/435
दिनांक 13.02.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 2256-57 दिनांक
23.02.2017

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि श्री मंशाराम जाट, सहायक
लेखाधिकारी ग्रेड-11 की प्रतिनियुक्ति अवधि में बढ़ोतरी राजस्थान सेवा नियमों के
नियम-144(ए) के तहत नियोक्ता अधिकारी निदेशक कोष एवं लेखा एवं वित्त (राजस्व)
विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा की जा सकती है। आप द्वारा बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति
अवधि राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियमानुकूल नहीं है। इस बाबत कार्यालय के
प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। पुनः पत्र लिखकर लेख है कि श्री
जाट को अविलम्ब इस निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित कर कार्यमुक्त करावें।

हो—
(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 3(ख)/ (एम-53/86आर)/अलेसे-11/ 2544 दिनांक:- 27/03/17

✓ प्रतिलिपि श्री मंशाराम जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल
सोसायटी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित कर निर्देशित किया
जाता है कि आपकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः अविलम्ब
कार्यमुक्त होकर इस निदेशालय में उपस्थिति दें। अन्यथा आपके वार्षिक
गोपनीय प्रतिवेदन में इसकी विपरीत प्रविष्टि अंकित कर दी जावेगी।

(हेमलता कुमारी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

प्रतिलिपि - उप निदेशक, ACP को अपलोड करने बाबत।